न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. नर्बदा पुत्री मोहनलाल पत्नी बाबुलाल जाति मेघवाल निवासी आलावास तहसील सोजत हाल निवासी हेमलियावास कलां तहसील मा0ज0 जिला पाली राज0।		1. ममता पुत्री टीकाराम पंवार पत्नी अशोक बारूपाल (पुत्र मूलाराम बारूपाल) जाति मेघवाल निवासी पत्रकार कॉलोनी, जयपुर तहसील व जिला जयपुर राजस्थान।
2. वर्षा पुत्री मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी आलावास तह0 सोजत जिला पाली राज0।		2. मोहनलाल पुत्र अमराराम जाति मेघवाल निवासी आलावास तहसील सोजत जिला पाली राज0।
		3. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1, 2 सी0पी0सी0 सपठित 151 सी0पी0सी0

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 44/2020

उपस्थितिः—

01. श्री लक्ष्मण मेघवाल अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

02. श्री जगदीश चौहान अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांक :— 27/05/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा आलावास तहसील सोजत के वर्तमान खतौनी संख्या 141 खसरा नंबर 540 रकबा 2.56 है0 किस्म बा0अ0 की कृषि भूमि आई हुई स्थित हैं। सैटलमेंट के पुराने ख0नं0 411 से उक्त कृषि भूमि के नये खसरा नंबर बने है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक, पुश्तैनी एवं विरासत की कृषि भूमि हैं, जो प्रार्थीगण के दादा अमराराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा थी। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 02 मोहनलाल द्वारा प्रार्थीगण के पुश्तैनी हक हिस्से का सम्मिलित करते हुए बिना किसी वैद्य अधिकार के प्रार्थीगण की सहमति एवं स्वीकृत प्राप्त किये सम्पूर्ण कृषि भूमि को कब्जे के अभाव में अप्रार्थी सं0 01 के हक हिस्से में दिनांक 29.03.2004 को बेचान रजिस्ट्री विक्रय कर पंजीयन करवा दी। स्व0 अमराराम जी का निर्वशीयती स्वर्गवास व उनकी पत्नी जस्सी बाई का भी स्वर्गवास हो चुका हैं। अप्रार्थी सं0 02 प्रार्थीगण के जांहिदा पिता हैं। अप्रार्थी सं0 2 का नाम स्व0 अमराजी के निर्वशीयती स्वर्गवास होने के पश्चात् राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया अर्थात् उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 02 की स्वअर्जित भूमि नहीं होकर पुश्तैनी व पैतृक कृषि भूमि हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/3—1/3 अर्थात् 1/9 हक हिस्सा खातेदारी अधिकार का निहित हैं। जिसमें प्रार्थीगण निरन्तर शांतिपूर्वक तरीके से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग कर रहे हैं। वर्तमान में अप्रार्थी सं0 2 की नियत बद हो चुकी हैं। वह वादस्थ कृषि भूमि को हड़प कराना चाहता है व प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त से महरूम करना चाहता हैं। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अप्रार्थी सं0 2 से वादस्थ भूमि क्रय करने व राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज होने से प्रार्थीगण को बेदखल करने व ओर आगे बेचान करने को उतारू हैं। यदि वे ऐसा करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। प्रार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि वादस्थ भूमि पैतृक व पुश्तैनी होने से वादस्थ भूमि में प्रार्थीगण को जन्म से हिस्सा निहित हो चुका हैं, जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि वादस्थ भूमि का दौराने वाद आगे से आगे बेचान हो जाता है एवं राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त से

उपखण्ड अधिकारी,

बेदखल कर दिया जाता हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। जिससे सरहद मौजा आलावास तहसील सोजत के वर्तमान खतौनी संख्या 141 खसरा नंबर 540 रकबा 2.56 है0 किस्म बा0अ0 की कृषि भूमि का बेचान, रहन व अन्य हस्तान्तरण नहीं करने एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नहीं करने व मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

अप्रार्थी सं0 1 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के वादस्थ भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित होने के तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं। वादस्थ भूमि कतई पुश्तैनी नहीं है। हकत्याग के पश्चात् अप्रार्थी सं0 02 उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा का पूर्ण स्वामी है तथा उसे बेचने का पूर्ण अधिकार हैं। बेचान के पेज सं0 4 में यह स्पष्ट वर्णित किया कि "मुझ बेचानकर्ता या मेरे किसी वल्ली वारिसान उत्तराधिकारीगण को कोई किसी प्रकार का उज्र एतराज नहीं होगा" अप्रार्थी सं0 1 ने उपरोक्त वादे एवं विश्वास के आधार पर सदभाविक क्रेता बनकर भूमि खरीद की थी। किन्तु दिनांक 04.07.2020 को स्वयं अप्रार्थी सं0 02 ने मिलीभगत कर अप्रार्थी सं0 01 के खरीदसुदा खेत में अनाधिकृत रास्ता निकालने पर पुलिस थाना सोजत रोड़ में शिकायत किये जाने पर शिकायत से नाराज होकर अपने दोनो पुत्रियों से मिलीभगत कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। पैरा सं0 02 अस्वीकार है क्योंकि वादस्थ भूमि क्रय किये जाने के समय प्रार्थीगण 1 व 2 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं था। न ही उनके द्वारा विधिक रूप से अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराया। अप्रार्थी सं0 02 के खातेदारी की ओर भी अन्य जमीने ग्राम आलावास में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा अपने तथाकथित अधिकारों की मांग माननीय न्यायालय में नहीं की गई। प्रार्थीगण के द्वारा लंबी अवधि के पश्चात् रंजिशवश यह प्रार्थना पत्र व वाद पेश किया है। अप्रार्थी सं0 02 अभी भी जीवित है और उसके जीवनकाल में प्रार्थीगण द्वारा जो दावा पेश किया गया है, वह मिलीभगत कर प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं0 02 को शांति एवं कानून बहाली हेतु प्रकरण सं0 214/2020 अन्तर्गत धारा 107, 116(3) सी.आर.पी.सी. के तहत पाबंद किया गया है, जिससे अप्रार्थीगण सं0 02 अप्रार्थीगण सं0 01 से रंजिश रखते हैं। पद सं0 7 में वर्णित तथ्य कपोल कल्पित है प्रार्थीगण को किसी प्रकार से बिनायदावा उत्पन्न नहीं होता हैं। यदि अप्रार्थी सं0 02 द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में छल कपट व धोखाधड़ी से भूमि अन्तरण की गई होती तो अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्ध आवश्यक रूप से फौजदारी कार्यवाही अमल में लाई जाती। प्रार्थीगण का प्रकरण चूंकि अप्रार्थी सं0 02 जीवित है जिससे उनके जीतेजी प्रार्थीगण का मामला कतई प्रथम दृष्टया रूप से बनना नहीं पाया जाता हैं। प्रार्थीगण द्वारा मात्र एक ही खसरे के संबंध में वाद प्रस्तुत किया है जिससे सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

अप्राथी सं0 03 तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत ने जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पेरा सं0 1 में वर्णित तथ्य कानूनी हैं। पैरा सं0 02 में वर्णित भूमि मौजा आलावास में स्थित हैं। पैरा सं0 3 से 8 को कानूनी होना अंकित किया हैं।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि सैटलमेंट के पुराने ख0नं0 411 से उक्त कृषि भूमि के नये खसरा नंबर बने है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक, पुश्तैनी एवं विरासत की कृषि भूमि हैं, जो प्रार्थीगण के दादा अमराराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा थी। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 02 मोहनलाल द्वारा प्रार्थीगण के पुश्तैनी हक हिस्से का सम्मिलित करते हुए बिना किसी वैद्य अधिकार के प्रार्थीगण की सहमति एवं स्वीकृत प्राप्त किये सम्पूर्ण कृषि भूमि को कब्जे के अभाव में अप्रार्थी सं0 01 के हक हिस्से में दिनांक 29.03.2004 को बेचान रजिस्ट्री विक्रय कर पंजीयन करवा दी। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/3–1/3 अर्थात् 1/9 हक हिस्सा खातेदारी अधिकार का निहित हैं। जिसमें प्रार्थीगण निरन्तर शांतिपूर्वक तरीके से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग कर रहे हैं। वर्तमान में अप्रार्थी सं0 2 की नियत बद हो चुकी हैं। वह वादस्थ कृषि भूमि को हड़प कराना चाहता है व प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त से महरूम करना चाहता हैं। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अप्रार्थी सं0 2 से वादस्थ भूमि क्रय करने व राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज होने से प्रार्थीगण को बेदखल

अतिरिक्त आयुक्त,
सोजत (राज.)

करने व ओर आगे बेचान करने को उतारू हैं। यदि वे ऐसा करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। जिससे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्राथी ने निवेदन किया कि अप्राथी संख्या 01 सदभाविक केता है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र उसे हैरान व पेरशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। वादस्थ खसरा जात की भूमि से संबंधित एक वाद सिविल न्यायाधीश, महोदय, सोजत के न्यायालय में दर्ज होकर निर्णित हुआ है जिसमें भी प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण निर्णित हुआ है। जिसकी प्रमाणित प्रति पेश की है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय जबाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रथम दृष्टया प्रार्थित भूमि पुश्तैनी / पैतृक होना स्पष्ट होता है। कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा के लिए किसी प्रकार की समय – सीमा विधि में नही है। यद्यपि सिविल न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण से संबंधित प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है किन्तु प्रत्येक प्रकरण की विषय– वस्तु / न्यायालय के क्षेत्राधिकार पृथक – पृथक होते है। प्रार्थीगण अपनी पुश्तैनी भूमि के हक हिस्से की घोषणा करवाने हेतु वाद दायर करवाया गया है। वादस्थ भूमि प्रथम दृष्टया पुश्तैनी / पैतृक है यदि अप्रार्थीगण द्वारा अपने राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम के आधार पर प्रार्थीगण को बेदखल करने में सफल होते है तथा अप्रार्थीगण वाद निर्णय से पूर्व प्रार्थित भूमि का और आगे से आगे बैचान कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। यद्यपि पक्षकारो के हक अधिकारो को मूल वाद में जवाब दावा रेकर्ड पर लिया जाकर तनकीयात कायम कर साक्ष्य पश्चात गुणावगुण पर किया जायेगा किन्तु वर्तमान परिपेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना न्यायोचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन / विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 भू0राजस्व अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा आलावास तहसील सोजत के वर्तमान खतौनी संख्या 141 खसरा नंबर 540 रकबा 2.56 है0 किस्म बा0अ0 की कृषि भूमि का मूल वाद के निर्णत तक अप्रार्थीगण बैचान रहन व अन्य हस्तान्तरण नही करे तथा रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद पालना मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 27/05/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)